बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 286880 पटना, दिनांक : 4/10/2016

ग्रा०वि०-15-स्वच्छता (विविध) 26/2016

प्रेषक

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
आयुक्त, स्वरोजगार
सह-मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय :- ग्रामीण स्वच्छता सूचक एवं ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचक।

महाशय,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक पत्रांक S-16012/2/2016-SBM दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में निहित निदेशों के आलोक में समुचित कार्रवाई करते हुए सभी गाँवों के लिए स्व-घोषित ग्राम स्तरीय स्वच्छता सूचक एवं ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचक की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पर उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाय। पत्र में निहित मुख्य निदेशों का सार निम्न प्रकार है :-

1. देश के 75 जिलों में 70,000 परिवारों पर कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न विशेषज्ञों से विमर्श तथा राज्य सरकारों के साथ तिरूवनन्तपुरम में जुलाई 2016 एवं जयपुर में अगस्त 2016 में सम्पन्न कार्यशालाओं में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्वच्छता सूचक एवं ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन का सूत्र स्थापित किया गया है।

   (क) स्वच्छता सूचक (C)
   $C=0.4x_1+0.3X_2+0.2x_3+0.1x_4$

   (ख) ठोस द्रवअपशिष्ट प्रबंधन (S)
   $S=0.5x_2+0.33x_3+0.17x_4$

   यहाँ पर –

   X_1- वैसे घरों का प्रतिशत है जहाँ पर सुरक्षित शौचालय का उपयोग हो रहा है।

   X_2- वैसे घरों का सूचक है जहाँ परिसर में कूड़ा-कचरा नहीं है।

   X_3-वैसे सार्वजनिक स्थानों के प्रतिशत का सूचक है जहाँ पर कूड़ा-कचड़ा नहीं हो।

   X_4-वैसे घरों का प्रतिशत है जहाँ पर अपशिष्ट जल का जमाव नहीं होता है।

   पत्र में "C" और "S" की और व्याख्या की गयी है।

यह निदेशित किया गया है कि सभी गाँव के स्वच्छता के स्तर को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पर दर्शाया जाय। इसके लिए ग्राम सभाओं को ऊपर वर्णित सभी घटकों का आकलन कराना होगा जिनके आधार पर स्वच्छता एवं ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचकों का निर्धारण होता है। जिन क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था कार्यरत्त नहीं है वहाँ राज्य सरकार द्वारा वैसे ग्राम अवयवों का मूल्यांकन कर समुचित निकाय का गठन किया जायेगा जो उपर्युक्त घटकों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से कर सकें।

2. जिन पंचायतों की जनसंख्या काफी अधिक है वैसे गाँवों में यह पर्याप्त होगा कि कम से कम गाँव के 20 निवासी के साथ पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित कम से कम एक सदस्य ग्राम सभा में उपस्थित हो। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली पर आँकड़ों की प्रविष्टि (MIS data entry) तथा ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही के अंकन हेतु निर्धारित templet का प्रपत्र संलग्न है। इन प्रपत्रों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वेबसाइट http://sbm.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है।
3. पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि कार्यवाही के प्ररुप (templet) का अनुवाद स्थानीय भाषा में कर वितरित किया जाय ताकि पंचायतों एवं गाँवों में उनका सुगमता के साथ उपयोग हो सके। उपर्युक्त सूचकों के निर्धारण हेतु जब ग्राम सभा की बैठक हो तभी इन बैठकों की कार्यवाही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का पंचायत/ प्रखण्ड / जिला स्तर पर क्रियान्वयन करनेवाले प्राधिकार के पास अग्रसारित कर दिया जाय जो उसे MIS पर upload कर दें। यह भी उल्लेखनीय है कि सूचनाओं के साथ ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की scanned copy भी MIS पर upload की जाय ताकि उपर्युक्त रीति से वर्णित सूत्र के अनुरूप स्वच्छता सूचक और ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचक की गणना प्रणाली द्वारा की जा सके।
4. पत्र में यह भी निदेश दिया गया है कि ग्राम सभा उपर्युक्त सूचकों के घटकों को आवश्यकतानुसार माह में अधिकतम एक बार अद्यतन अथवा संशोधित किया जा सकता है।
5. यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन सूचकों का उपयोग भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय उन गाँवों के आँकलन हेतु किया जा सकता है जो ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचक के निर्धारित स्तर के ऊपर हैं। विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना के तहत राज्य को प्रोत्साहन राशि दिया जाने की स्थिति का निर्धारण किया जा सके। इसकि अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इन घटकों का उपयोग गाँव के स्वच्छता स्तर के निर्धारण हेतु आम लोगों को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके माध्यम से ग्राम स्वच्छता के स्तर के विषय में नागरिकों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन हो सकेगा।

अनुरोध है कि इसके आलोक में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाय जाकि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण स्तरीय स्वच्छता सूचक एवं ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन सूचक दिनांक 31.12.2016 तक MIS पर उपलब्ध हो सकें।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- 1. भारत सरकार का पत्र।
2. कार्यवाही प्ररूप का हिन्दी अनुवाद।

04/10/16
(बालामुरुगन डी०)

ज्ञापांक:- 286880 पटना, दिनांक : 4/10/2016
ग्रा०वि०-15-स्वच्छता (विविध) 26/2016

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/10/16
(बालामुरुगन डी०)

ज्ञापांक:- 286880 पटना, दिनांक : 4/10/2016
ग्रा०वि०-15-स्वच्छता (विविध) 26/2016

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/10/16
(बालामुरुगन डी०)